

प्रधान कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली -110075
Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075

असाधारण आम बैठक की सूचना

Notice of the Extraordinary General Meeting

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल
साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

**Through Video Conferencing (VC) or Other
Audio-Visual Means (OAVM)**

बुधवार, 27 सितंबर, 2023 प्रातः 11.00 बजे
Wednesday, 27th September 2023 AT 11.00 A.M.

विषय-सूची

नोटिस	04-05
टिप्पणियाँ	06-19
व्याख्यात्मक कथन	19-33
नामांकन फार्म	34-35
घोषणा और वचनपत्र	36-47

महत्वपूर्ण तिथियों

असाधारण आम बैठक की तिथि	बुधवार, 27 सितंबर, 2023
प्रत्याशी के रूप में नामांकित करने, चुनाव लड़ने और चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट तिथि/ कट-ऑफ तिथि।	शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023
नामांकन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 सायं 05.00 बजे तक
नामांकन की जांच (अगले कार्यदिवस पर)	बुधवार, 13 सितंबर, 2023
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	गुरुवार 21 सितंबर, 2023 सायं 05.00 बजे तक
निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कार्यसूची मद के संबंध में ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि	बुधवार, 20 सितंबर, 2023
रिमोट ई-वोटिंग की अवधि	शनिवार, 23 सितंबर, 2023 (प्रातः 09.00 बजे) से मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 (सायं 05.00 बजे) तक

CONTENTS

Notice	48-49
Notes	50-61
Explanatory Statement	61-74
Nomination Form	75-76
Declaration and Undertaking	77-87

Important Dates

Date of Extraordinary General Meeting	Wednesday, 27th September, 2023
Specified Date/Cut-off date for the purpose of determining the shareholders eligible for nominating, contesting the election and voting in the Election.	Friday, 25th August, 2023
Last date for submission of Nomination Forms	Tuesday, 12th September, 2023 by 05.00 p.m.
Scrutiny of Nominations (next working day)	Wednesday, 13th September, 2023
Last date for Withdrawal of Nominations	Thursday, 21st September, 2023 by 05.00 p.m.
Cut-Off date for determining the eligibility of shareholders for e-voting in respect of the Agenda Item relating to the appointment of the Director	Wednesday, 20th September, 2023
Period of Remote E-Voting	From Saturday, 23rd September, 2023 (09.00 a.m.) to Tuesday, 26th September, 2023 (05.00 p.m.)

प्रधान कार्यालय: प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
(ई-मेल आईडी: hosd@pnb.co.in)

सूचना

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम)** के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:-

मद संख्या 1 : केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चयन करने के लिए, जिनके संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बाद में जिसे "बैंकिंग विनियम अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (बाद में इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 9 (3) (i) के संदर्भ में वैध नामांकन प्राप्त होते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद यह "योजना" के रूप में संदर्भित) पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 (इसके बाद "पीएनबी विनियम" के रूप में संदर्भित) जो अधिनियम की धारा 19, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथासंशोधित ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के अनुसरण में बनाए गए, और पीएसबी के बोर्ड के निदेशकों के चुनाव के लिए 'फिट एंड प्रॉपर' मापदंड पर आरबीआई मास्टर निर्देश अधिसूचना संख्या डीबीआर.अपार्ट.सं.: 9/ 29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से जारी किया (इसके बाद "आरबीआई मास्टर निर्देश" और इसमें आगे संशोधन के रूप में संदर्भित किया गया, यदि कोई हो) दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और दिनांक 08 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में विचार के लिए जारी किया गया (इसके बाद "भारत सरकार के दिशानिर्देश" और इसके संशोधन, यदि कोई हो) और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

"संकल्प किया जाता है कि संबंधित योजना, पीएनबी विनियमों, आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अनुसार केंद्र सरकार के अतिरिक्त निदेशकों में से चुने गए एक निदेशक को बैंक के निदेशक के रूप में दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 से कार्याभार संभालने के लिए **नियुक्त** किया जाता है और इस प्रकार कार्य संभालने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के पूरा होने तक पद धारण करेंगे"। उपर्युक्त संकल्प को सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 25 (2ए) के प्रावधानों के अंतर्गत भी माना जाएगा।

मद सं.2 : बैंक के बोर्ड में भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्रीमती उमा शंकर की नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।

विचार हेतु तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित को पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 17 (1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, यथासंशोधित, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (सी) के साथ पठित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) के अनुसार वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ सं.6/3/2011-बीओ.आई दिनांक 14 जुलाई, 2023 के माध्यम से बैंक के बोर्ड में भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुशंसा पर अगले आदेश तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार श्रीमती उमा शंकर को नामित निदेशक के रूप में एतद्वारा **अनुमोदित** किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.08.2023

हस्ता/-
(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

टिप्पणियाँ :

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने अप्रैल, 2020 और मई, 2022 में जारी पूर्ववर्ती परिपत्र के साथ पठित अपने सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के द्वारा कंपनियों को 30 सितंबर, 2023 तक वीसी या ओएवीएम के माध्यम से अपनी ईजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/प्रका/सीएफडी/पीओडी-2/पी/परि/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 को सेबी परिपत्र संख्या सेबी/प्रका/सीएफडी/सीएमडी2/परि/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित 30 सितंबर, 2023 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम बैठकें आयोजित करने के संबंध में सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए छूट भी बढ़ा दी है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके लिए सामान्य स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियमन 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। ईजीएम के लिए मान्य स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा **नैशनल सिक्योरिटीज निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)** द्वारा प्रदान की जाएगी।

शेयरधारक इस नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, जिसे शेयरधारकों के लिए 27 सितंबर, 2023 को प्रातः 10:30 बजे से अर्थात् ईजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक खुला रहेगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए निर्धारित समय के 30 मिनट बाद बैंक/एनएसडीएल विंडो बंद कर सकता है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर कम से कम 1,000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देती है। बैंक की 2% या इससे अधिक शेयर पूंजी रखने वाले शेयरधारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के ईजीएम में भाग ले सकते हैं।

2. इस नोटिस में दिए गए अनुसार मद सं. 1 और 2 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य निर्धारित करने वाले प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक, स्वयं के स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, चूंकि शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा ईजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, प्रॉक्सी एवं उपस्थिति पर्ची की नियुक्ति का साधन नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है।

4. एक अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति, किसी निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और/या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 की शाम 5.00 बजे या से उससे पहले शेयर विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, पूर्वी विंग, दूसरा तल, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 को उल्लेखित करते हुए हार्ड कॉपी में बैंक में जमा किया गया या hosd@pnb.co.in पर ई-मेल के माध्यम से या संवीक्षक को ई-मेल द्वारा sgsdel@gmail.com पर भेजा गया है। evoting@nsdl.co.in या एक प्रति के साथ hosd@pnb.co.in पर भेजी जाए।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि:

चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारण करने के उद्देश्य से अर्थात् केंद्र सरकार (अर्थात् मद संख्या-1) के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से किसी एक निदेशक के चुनाव के लिए नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने के लिए निर्दिष्ट/ कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार, सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44 के साथ पठित, कार्यसूची मद के संबंध में ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि निदेशक की नियुक्ति (अर्थात् मद संख्या 2) से संबंधित तिथि 20 सितंबर, 2023 (बुधवार) है।

6. मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3 (2 ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके शेयरों के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा। यदि कोई भी शेयर दो या दो से अधिक

व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसे एकमात्र धारक माना जाएगा।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 के अनुसार जो शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है, वे अपने वोट का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से कर सकते हैं।

7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

- I. सेबी सूचीबद्धता विनियमन, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार, यथासंशोधित, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, बैंक अपने शेयरधारकों को नेशनल सिक्क्योरिटीज निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधन (ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।
- II. वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं डाला है, वे ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
- III. जिन शेयरधारकों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- IV. रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश इस प्रकार हैं:

क. रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 23 सितंबर, 2023 प्रातः 9:00 बजे से शुरू होगी और मंगलवार सायं 5:00 बजे, 26 सितंबर, 2023 को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि के अनुसार, बैंक के शेयरधारक जिनके पास भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

ख. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति का विवरण नीचे दिया गया है।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में प्रवेश

- क. डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग तथा वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि ।

'सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा' पर सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को वोट देने

की अनुमति है। उनके डीमैट खातों/निक्षेपागार/निक्षेपागार प्रतिभागियों की वेबसाइट के माध्यम से शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए वे अपने डीमैट खातों में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट माध्यम में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. यदि आप एनएसडीएल IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवाएं वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग इन" के अंतर्गत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें जो "IDeAS" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। वहां आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "IDeAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/Id easDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित यूआरएल www.evoting.nsdl.com टाइप करके या तो व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग इन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (यथा एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए

	गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। 4. शेयरधारक नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके निर्बाध मतदान अनुभव के लिए एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं NSDL Mobile App is available on  App Store  Google Play  
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी /इजीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi /Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे CDSL वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और नए सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा My easi उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफल लॉगिन के बाद Easi /Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार मतदान जारी है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने

	के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi /Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर पुनः भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने या मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण सूचना: जो शेयरधारक यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध यूजर आईडी एवं फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने के चरण

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके <https://www.evoting.nsdl.com/> वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/ सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज अर्थात् IDeAS के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDeAS लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ईसर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात् अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।

4. आपकी उपयोगकर्ता आईडी विवरण इस प्रकार हैं:

शेयर रखने का तरीका अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल)	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
--	--------------------------

या सीडीएसएल) या भौतिक	या
क) एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरेक्टर की डीपीआईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12***** होगा
ख) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी 12***** होगा
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	इवन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आई 101456001*** होगा।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

क. यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ख. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

ग. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?

(i) यदि आपकी ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते या बैंक में पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल खोजें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् .pdf फ़ाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है। सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड होगा। .pdf फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको प्रारंभिक पस्वोर्ड प्राप्त नहीं किया है या भूल चुके हैं:

क. www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें। (यदि आपके पास एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर हैं)

ख. Physical User Reset Password?" विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। (यदि आपके पास फिजिकल मोड में शेयर हैं)

ग. यदि आप अभी भी उपर्युक्त दो विकल्पों से पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता सं./फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

घ. एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "Terms and Conditions" से Agree पर टिक करें।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर ईजीएम ज्वाइन करें

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका वोटिंग साइकिल और आम बैठक 'सक्रिय' स्थिति में है।

2. पंजाब नेशनल बैंक के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग के दौरान आप अपना वोट डालना चाहते हैं तथा सामान्य बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। ईजीएम में वर्चुअल भाग लेने के लिए, आपको "ज्वाइन मीटिंग" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।

4. उचित विकल्प का चयन करके अपना वोट डालें, अर्थात् उन शेयरों की संख्या की सहमति या असहमति, सत्यापित/ संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।

5. पुष्टि होने पर, संदेश "सफलतापूर्वक वोट डाला गया" प्रदर्शित किया जाएगा।

6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर लेते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, स्कूटिनाइज़र को ई-मेल द्वारा sgsdel@gmail.com पर तथा evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ भेजना होगा। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र" पर क्लिक करके अपने बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।
2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा।
3. किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या 022-48867000 और 022- पर कॉल कर सकते हैं। 24997000 या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ई-मेल आईडी निक्षेपागार के साथ पंजीकृत नहीं हैं, इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया :

1. यदि शेयर भौतिक रूप में है, तो कृपया फोलियो नं., शेयरधारक के नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति बैंक के आरटीए को beetalrta@gmail.com ई-मेल पर भेजें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में है, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति बैंक के आरटीए को beetalrta@gmail.com ईमेल पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड में रखे प्रतिभूतियों के व्यक्तिगत शेयरधारक है, तो आपसे **चरण 1 (क)** अर्थात् "डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन की विधि" में बताई गई लॉगिन विधि का सन्दर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in को अनुरोध कर सकते हैं।

ईजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

1. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
2. केवल वे शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित रहेंगे एवं जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से उन्हें रोका नहीं गया है। वे ईजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे।
3. शेयरधारक जिन्होंने ईजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट डाला है वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में भी भाग ले सकते हैं लेकिन वे पुनः अपना वोट डालने के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. किसी संकल्प पर एक बार वोट देने के बाद उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
5. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण रिमोट ई-वोटिंग यथाउल्लिखित के अनुसार ही होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

1. शेयरधारकों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक **“एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का एक्सेस”** हेतु उपरोक्तानुसारक चरणों का पालन कर प्रवेश कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप बैंक के नाम के सामने **“Join Meeting”** मेन्यू के अंतर्गत **“VC/OAVM link”** का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि **“Join Meeting”** मेन्यू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक **‘Shareholder/Member login’** में उपलब्ध होगा जहां बैंक का ईवीईएन प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

ईजीएम से पहले या उसके दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सहायता की आवश्यकता वाले शेयरधारक से जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका हेल्पलाइन विवरण वही होगा जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित है।

2. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए शेयरधारकों के पास अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क आने-जाने के कारण ऑडियो/वीडियो की हानि का अनुभव सकती है। इसलिए किसी

भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

3. शेयरधारक, जो ईजीएम में लेनदेन किए जाने वाले कार्य के संबंध में ईजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से अपना अनुरोध बैंक की ईमेल आईडी hosd@pnb.co.in पर 22 सितंबर, 2023 को सायं 05.00 बजे या उससे पहले अनुरोध भेजकर खुद को 'स्पीकर' के रूप में पंजीकृत करना होगा। केवल वे शेयरधारक जिन्होंने खुद को 'स्पीकर' के रूप में पंजीकृत किया है, को बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
4. **शेयरधारक ईजीएम में लेन-देन के कार्यसूची के संबंध में अपने प्रश्न** केवल अपने पंजीकृत ईमेल पते से, अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, बैंक की ईमेल आईडी hosd@pnb.co.in पर अग्रिम रूप से 22 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे या उससे पहले भेज सकते हैं। जो शेयरधारक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेंगे, वे प्रश्न बॉक्स विकल्प के माध्यम से भी प्रश्न/ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्रश्नों को बैठक के दौरान उठाया जाएगा या बाद में बैंक द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।
5. संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनसे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

8. संवीक्षक

मेसर्स एसजीएस एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक, ईजीएम के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर बैठक के अध्यक्ष को डाले गए कुल वोटों पर एक समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद, बैंक स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसडीएल और बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षककर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्रस्तुत करते हुए तुरंत मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

9. अन्य सूचना

- क. सेबी परिपत्र संख्या सेबी/प्रका/सीएफडी/सीएम2/परि/पी/2022/ 62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित सेबी परिपत्र संख्या सेबी/प्रका/सीएफडी/पीओडी-2/पी/परि/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के अनुसार और एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 को इसके पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पढ़ा जाए, बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रक्रिया का संकेत देती है और ई-वोटिंग आदि का तरीका केवल उन सभी

शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा जा रहा है जिनकी ई-मेल आईडी बैंक के आरटीए/ निक्षेपागार प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं।

ख. उपरोक्त सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-वोटिंग आदि की प्रक्रिया और तरीके को इंगित करते हुए, केवल उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी जा रही है जिनकी ईमेल आईडी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात "बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड"/ निक्षेपागार सहभागी के साथ पंजीकृत हैं।

ग. शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि ईजीएम की सूचना को बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराया गया है।

घ. बैंक द्वारा की गई 'हरित पहल' को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयरों के मामले में अपनी ई-मेल आईडी बैंक के आरटीए और इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के साथ पंजीकृत कराएं।

ङ. सेबी परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी - पीओडी -1 /पी /सीआईआर /2023 /37 दिनांक 16 मार्च , 2023 के अनुसार आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड, 'केवाईसी विवरण और नामांकन' के संबंध में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 30 सितंबर, 2023 तक बैंक के आरटीए के साथ अपने संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें। 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद फोलियो में उपरोक्त दस्तावेज़/विवरण में से कोई भी उपलब्ध नहीं होने पर इसे आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

च. नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, के मामले में, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, शेयरधारक बैंक के आरटीए के साथ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों के साथ इसे अपडेट करवा सकते हैं।

छ. जो शेयरधारक भौतिक रूप में कई फोलियो में समान नामों या नामों के समान क्रम में संयुक्त नामों में शेयर रखते हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे एक ही फोलियो में समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाणपत्र आरटीए को भेजें।

ज. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 40 के अनुसार, यथासंशोधित, सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों केवल प्रतिभूतियों के संचरण या स्थानान्तरण के लिए प्राप्त अनुरोध के

मामले को छोड़कर 01 अप्रैल, 2019 से केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसलिए भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी हिस्सेदारी को अमूर्त रूप में परिवर्तित करें। शेयरों के डीमटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट अर्थात् <https://www.pnbindia.in/> पर Investor Info' के अंतर्गत उपलब्ध है।

व्याख्यात्मक कथन

मद सं.1: एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार, निदेशक मंडल में आम बैठक में उनके शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) द्वारा चुने गए निदेशक शामिल होंगे। शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या नीचे दी गई है:

- एक निदेशक, जहां सार्वजनिक शेयरधारिता कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है;
- दो निदेशक जहां सार्वजनिक शेयरधारिता सोलह प्रतिशत से अधिक है लेकिन कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है;
- तीन निदेशक जहां सार्वजनिक शेयरधारिता कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है

चूंकि बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी 26.85% है, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक बैंक के बोर्ड में दो निदेशकों का चुनाव करने के हकदार हैं।

बैंक में शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री गौतम गुहा और श्रीमती (डॉ.) रेखा जैन, दो निदेशक हैं। श्री गौतम गुहा का कार्यकाल 05 अक्टूबर, 2023 को पूरा हो रहा है और तदनुसार, बैंक उस तिथि को निकलने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का संकल्प करता है।

शेयरधारक (केंद्र सरकार के अलावा) प्रासंगिक अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/दिशानिर्देशों में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं।

1. विधिक प्रावधान

प्रासंगिक अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/दिशानिर्देशों के प्रासंगिक उद्धरण/भाग यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचनाएँ	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई) धारा 16(1) धारा 20	पर्याप्त रुचि सामान्य निदेशकों का निषेध इसके किसी भी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 3 (2 ई) धारा 9 (3) (i) धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) धारा 9 (3AA) और धारा 9 (3एबी) धारा 9 (3बी) धारा 13 (2)	मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और आरबीआई द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर 'फिट और उचित' स्थिति वाला व्यक्ति न हो। ऐसे निर्वाचित निदेशक को हटाने का आरबीआई का अधिकार जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) और 9 (3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। निष्ठा और गोपनीयता के संबंध में दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	खण्ड 9 (4) खण्ड 10 खण्ड 11 खंड 11ए खण्ड 11बी खण्ड 12 (8)	निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने या निदेशक होने से अयोग्यताएँ निदेशक का कार्यालय रिक्त निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरना निदेशकों द्वारा कुछ व्यवस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण जिसमें वे रुचि रखते हैं।
पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69	संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग सामान्य बैठकों में मतदान निदेशकों का चुनाव आम बैठक में किया जाएगा शेयरधारकों की सूची चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन नामांकन की जांच चुनावी विवाद मतदान के अधिकार का निर्धारण विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

आरबीआई (पीएसबी के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए' उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) दिशानिर्देश, 2019 - DBR.Appt.No : 9/29.67.001/2019 - 20 दिनांक 02.08.2019 और उसके बाद के संशोधन।	धारा 9(3ए) और धारा के अनुसार और धारा 9(3एबी) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त एवं उचित मानदंड।
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और उसके बाद के संशोधन दिनांक 08 जुलाई 2016, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2015 और 20 जुलाई, 2016 के साथ पठित और उसमें संशोधन, यदि कोई हो।	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 3 सितंबर, 2013 के अनुसार, धारा 9(3)(i) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की उपयुक्त और उचित स्थिति का निर्धारण करते समय इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।	
आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2015, इस संबंध में किसी भी अन्य परिपत्र सहित संशोधित।	निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम देना।	
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015।	स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान एवं उनकी नियुक्ति।	

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, योजना, पीएनबी विनियमों के साथ-साथ पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए ' उपयुक्त एवं उचित' मानदंड पर आरबीआई मास्टर दिशानिर्देश दिनांक 02 अगस्त, 2019, के प्रासंगिक उद्धरण, संशोधित और *भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश* बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि **अर्थात् मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 को सायं 05.00 बजे तक** या उससे पहले hosd@pnb.co.in पर ई-मेल के माध्यम से कंपनी सचिव, पंजाब नेशनल बैंक को संबोधित अनुरोध प्राप्त होने पर इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल भी भेजे जाएंगे।

2. चुनाव में भागीदारी

ऐसे शेयरधारक जिनका नाम निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि अर्थात् **शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 को** एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, वे केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव में भाग लेने अर्थात् **नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने के** हकदार होंगे।

गौरतलब है कि, केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव में वोट देने की हकदार नहीं है।

3. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यताएँ

i) अधिनियम की धारा 9(3ए) के संदर्भ में, एक उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है और जो अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की इच्छा रखता है:

क. निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है: -

- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहयोग
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी होगा

[आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.ए. बीसी संख्या 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के माध्यम से अधिसूचित किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन से संबंधित मामलों या क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन, किसी बैंकिंग कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक, सहायक बैंक और संबंधित नए बैंक (पीएसबी), जैसा भी मामला हो, के लिए उपयोगी होगा]।

बी. जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता है; या

सी. किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता है

ii) अधिनियम की धारा 9(3AA) के अनुसार, एक उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और जो बैंक का निदेशक बनने की इच्छा रखता है, उसके पास 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति होनी चाहिए।

iii) अधिनियम की धारा 9(3एबी) के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक उप-धारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण, इस तरह के निर्धारण का तरीका भी निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसे निर्धारण और ऐसे अन्य मामलों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिन्हें आवश्यक या प्रासंगिक माना जा सकता है।

iv) इसके अलावा, निर्वाचित निदेशक को अनुबंध पत्र निष्पादित करना चाहिए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्यताएँ

i) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 10 के अनुसार, एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त होने और होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा:

क) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने भुगतान निलंबित कर दिया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो; या

ख) यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया गया है; या

ग) यदि उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है; या

घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक के अंतर्गत लाभ का कोई पद रखता है। (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत बैंक के कर्मचारी नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर।

ii) यदि वह मास्टर डायरेक्शन के संदर्भ में 'उपयुक्त एवं उचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है - भारतीय रिज़र्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) दिशानिर्देश, 2019 दिनांक 02 अगस्त, 2019 और सरकार के *अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए* दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और 08 जुलाई 2016, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 3 सितंबर 2013 और उसके बाद के संशोधन, यदि कोई हो, के साथ पठित।

5. कार्यकाल

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार, एक निर्वाचित निदेशक तीन साल के लिए पद पर रहेगा और फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा।

बशर्ते ऐसा कोई भी निदेशक छह वर्ष से अधिक की अवधि तक लगातार पद पर नहीं रहेगा।

6. मास्टर निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) दिशानिर्देश, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ('उपयुक्त और उचित' मानदंड) पर मास्टर दिशानिर्देश जारी किए हैं। पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए दिनांक 02 अगस्त, 2019 को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले विशिष्ट 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

'उपयुक्त और उचित' स्थिति आदि तय करने के लिए प्राधिकरण, तरीके/प्रक्रिया और मानदंड इस प्रकार हैं:

i) **प्राधिकारी** : बैंक को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति ['समिति'] का गठन करना आवश्यक है जिसमें निदेशक मंडल में से कम-से-कम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से आधे से कम स्वतंत्र निदेशक नहीं होंगे और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति से कम-से-कम एक सदस्य को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और अधिनियम की धारा 9(3) (सी) के अंतर्गत नामित निदेशक इस समिति का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वह ऐसी समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे। समिति का कोरम अध्यक्ष सहित तीन से होगा।

ii) तरीका और प्रक्रिया : बैंक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी एवं एक घोषणा तथा वचन पत्र प्राप्त करेगा। नामांकन और पारिश्रमिक समिति नामांकन स्वीकार करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैठक करेगी और नीचे उल्लिखित मानदंडों के आधार पर यह निर्धारित करेगी कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं। हस्ताक्षरित घोषणा में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, समिति उम्मीदवारी की स्वीकृति या अन्यथा पर निर्णय लेगी और जहां आवश्यक समझे, उचित प्राधिकारी/व्यक्तियों को संदर्भ देगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार संकेतित आवश्यकताओं के अनुरूप है।

iii) मानदंड : नामांकन और पारिश्रमिक समिति यहाँ नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंड के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उपयुक्त तथा उचित' स्थिति का निर्धारण करेगी:

- **आयु** - उम्मीदवार की आयु चुनाव हेतु नामांकन जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को 35 से 67 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
 - **शैक्षिक योग्यता** - उम्मीदवार कम से कम स्नातक होना चाहिए।
 - **अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र** - आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर .एपीपीटी.बीसी.सं. 39 / 29 39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3ए) (ए) में दिए गए एक या अधिक मामलों के संबंध में उम्मीदवार को विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
 - **अयोग्यता** - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 10 के अंतर्गत यथा निर्धारित 'निदेशकों की अयोग्यता' के अतिरिक्त:
 - क) उम्मीदवार किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या किसी बीमा कम्पनी या किसी अन्य बैंक द्वारा धारित नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होलिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- स्पष्टीकरण :** इस उप-परिच्छेद तथा उप-परिच्छेद (सी) के उद्देश्य के लिए, 'बैंक' शब्द में बैंकिंग कंपनी, नया संपर्की बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होगा।
- ख) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार देने, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि वे किसी प्रबंधकीय नियंत्रण का लाभ नहीं उठाते हैं।
 - ग) बैंक के बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव/फिर से चुनाव नहीं किया जा सकता है, यदि उसने किसी बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में

किसी भी श्रेणी के तहत लगातार या अनिरंतर रूप से छः वर्षों के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया हो।

घ) उम्मीदवार को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।

ङ. उम्मीदवार को संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए ।

च. उम्मीदवार ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में **किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक** के रूप में संलग्न हैं।

छ. उम्मीदवार को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए जो वर्तमान में **उस बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।**

- **कार्यकाल** : निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा: बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक लगातार या अनिरंतर रूप से 6 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

- **व्यावसायिक प्रतिबंध** -

क. उम्मीदवार का संबंधित बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस बैंक के साथ व्यापारिक हित में टकराव हो सकते हैं।

ख. उम्मीदवार का किसी बैंक या किसी भी अन्य बैंक द्वारा धारण किए जाने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।

ग. बशर्ते चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय बैंक के साथ इस तरह के संबंध रखने वाले उम्मीदवार को मद (ख) के तहत अपेक्षाएं पूरी करने वाला तभी माना जाएगा, जब उम्मीदवार उम्मीदवार नामांकन और पारिश्रमिक समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे कि निदेशक के रूप में चुने जाने पर बैंक के साथ इस तरह के संबंध को अलग कर दिया जाएगा तथा निर्वाचित होने पर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पूर्व ऐसे संबंध से खुद को अलग कर लेंगे।

- **ट्रेड रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा**: उम्मीदवार किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं होना चाहिए तथा किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

iv) बैंक निर्वाचित निदेशक से प्राप्त करेंगे:

क. ऐसे व्यक्ति के निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले, निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्रारूप में निष्पादित अनुबंध का एक विलेख।

ख. 31 मार्च को एक साधारण घोषणा इस आशय की होगी कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले ही प्रदान की गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ग. जहां निर्वाचित निदेशक सूचित करता है कि पहले प्रदान की गई जानकारी में बदलाव हुआ है, बैंक ऐसे निदेशक से परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक नई घोषणा और वचन पत्र प्राप्त करेगा।

v) बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त,

क. निर्वाचित सीए निदेशक/उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएंगे तथा बैंक के ऋण/निवेश निर्णयों में भाग नहीं लेंगे, जिसमें उसके/फर्म के ग्राहक शामिल हैं। निर्वाचित सीए निदेशक को पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग रखना होगा तथा इससे संबंधित प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करना होगा।

ख. निर्वाचित निदेशक द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और डायरेक्टरशिप का पूर्ण और उचित खुलासा करना अपेक्षित है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरी बनाकर रखनी है तथा उन संस्थाओं जिनके वे हितधारक हैं, सहित बैंक के ऋण/निवेश संबंधी निर्णयों में भाग नहीं लेंगे।

ग. किसी ऐसे व्यक्ति को कोई व्यावसायिक कार्य आवंटित न करें, जो ऐसे निदेशक का पद छोड़ने के पश्चात् दो वर्षों की अवधि के लिए उस बैंक का निर्वाचित निदेशक था।

vi) **जहाँ निर्वाचित निदेशक:**

क.

(i) प्रसंविदा विलेख या घोषणा पत्र जमा करने में असफल रहता है; या

(ii) उचित प्रकटीकरण करने में असफल रहता है; या

(iii) ऋण/निवेश निर्णयों में भाग लेने से बचने में असफल रहता है, जिसमें वे रुचि रखते हैं; या

ख. अपूर्ण या गलत प्रकटीकरण करते हैं, या

ग. ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जिसके कारण उन्हें उपर्युक्त उल्लिखित मानदंड के अनुसार 'उपयुक्त और उचित' नहीं पाया जाता है।

ऐसे निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है तथा इसके परिणामों के लिए वे उत्तरदायी होंगे।

7. **भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और 08 जुलाई, 2016**

भारत सरकार के दिनांक 3 सितंबर, 2013 के पत्र के माध्यम से जैसीकि दी गई सलाह के अनुसार बोर्ड की 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' शेयरधारक निदेशक की 'उपयुक्त तथा उचित स्थिति' का निर्धारण करते समय गैर-सरकारी निदेशक (एनओडी) की नियुक्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेंगी। भारत सरकार ने दिनांक 25 मार्च, 2015 को जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देश, तथा दिनांक 08 जुलाई, 2016 को किए गए संशोधन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 के पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किया है, जिसका सार निम्नानुसार है:

i. सामान्य

क. नामांकन संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे।

ख. नामांकितियों की उपयुक्तता का आंकलन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि के अनुसार की जा सकती है। सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता का आंकलन करने हेतु, आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति की जानकारी, व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए की गई नागरिक कार्यवाही, पेशेवर निकायों से प्रवेश या निकासी से इनकार, नियामकों और समान निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों तथा पूर्व संदेहास्पद कारोबारी गतिविधियों आदि पर भरोसा किया जाएगा।

ii. अनुभव

क. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्रों में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा। एक वरिष्ठ पद पर 20 साल के उद्योग का अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञ (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में परिवर्तन लाया) को प्राथमिकता दी जाएगी।

ख. 20 वर्ष के कुल अनुभव वाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर 10 वर्षों का न्यूनतम अनुभव। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी/ईडी। भूतपूर्व सीएमडी/ईडी के संबंध में पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

ग. 20 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले प्रीमियर प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के अकादमिक निदेशक और प्रोफेसर।

घ. 20 वर्षों के अनुभव (लेखापरीक्षा के अनुभव को छोड़कर) वाले सनदी लेखाकारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

ङ. हालांकि, योग्यता के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड में रियायत दी जा सकती है।

च. जहाँ तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

iii. शिक्षा

एक एनओडी को कम से कम व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ किसी भी स्टीम में स्नातक होना चाहिए।

iv. आयु

निदेशक की आयु खोज समिति द्वारा सिफारिश की तिथि को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

v. कार्य अनुभव

पेशेवर/शिक्षाविदों को सामान्य रूप से अपने विशेष क्षेत्र में 20 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए।

vi. अयोग्यताएं

- i. किसी बैंक/वित्तीय संस्थान (वित्तीय संस्थानों) / आरबीआई / बीमा कंपनी में पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत कोई निदेशक पर, किसी भी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान

/ आरबीआई / बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

ii. किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों, संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य और स्टॉक ब्रोकर्स से जुड़े व्यक्तियों को बैंकों / वित्तीय संस्थानों / आरबीआई / बीमा कंपनियों के बोर्ड के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों के निवेशकों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि वे ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं।

iii. किसी व्यक्ति को बैंक / वित्तीय संस्थानों / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में एनओडी के रूप में पुनः नामांकित नहीं किया जा सकता है, जिस पर उन्होंने किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पूर्व में दो कार्यकाल या छह वर्ष जो भी अधिक हो, निदेशक के रूप में सेवा की है।

iv. यदि सनदी लेखाकार फर्म वर्तमान में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न है, तो उस सनदी लेखाकार फर्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

v. यदि सनदी लेखाकार फर्म वर्तमान में किसी सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में संलग्न है, तो उस सनदी लेखाकार फर्मों में से कोई भी भागीदार उसी बैंक में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।

vii. कार्यकाल:

बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या अनिरंतर रूप से एनओडी/शेयरधारक-निदेशक रह चुके हैं।

viii. व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के खंड 10(डी) के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिबंध का मामला बनाम लाभ के पद की अलग से जांच की जा सकती है।

ix. क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व को एक साथ लेकर- देश के सभी छह क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

8. शेयरधारकों की सूची

पंजाब नेशनल बैंक के 64 विनियम (शेयर और मीटिंग) विनियम, 2000 में संशोधन के अनुसार प्रदान किए गए, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, **शुक्रवार, 01 सितंबर, 2023 से** शेयर धारकों द्वारा रु 5/- प्रति 1000 शब्द और उसके भाग और रु 50,000/ में (पूर्ण शेयरधारकों की सूची सहित)

पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होगी। उक्त सूची को खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों को एक वचन देना होगा कि चुनाव में सूची का उपयोग मतार्थना में किया जाएगा और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

9. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में सभी कार्य दिवसों (दूसरे और चौथे शनिवार, रविवार और बैंक की छुट्टियों के अलावा) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार और पहले और तीसरे शनिवार को सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए शेयरधारकों के रजिस्टर से किसी भी हिस्से के सार लेने के लिए उम्मीदवारों को सक्षम करने के उद्देश्य से खुला रहेगा। अगर किसी भी शेयरधारक को चयनित/ भाग जानकारी की एक प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होगी तो उसे रु.5 प्रति 1,000 शब्द की दर से या उसके भाग पर, जो संपूर्ण शेयरधारकों की सूची सहित, अधिकतम रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) के अधीन, के भुगतान पर उसे प्रदान की जाएगी।

10. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

एक निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का कोई भी नामांकन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि:

- i. पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियमन 65 के संदर्भ में, वह एक शेयरधारक है जिसके पास **शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023** को की चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट तिथि/ कट-ऑफ तिथि निर्दिष्ट की जा रही है को बैंक के **100 (एक सौ) शेयर** से कम नहीं है, तो बैठक की तारीख तक और उसके बाद यदि वह निर्वाचित होता है तो उसके कार्यकाल के अंत तक, न्यूनतम 100 शेयरों को रखना जारी रखना होता है।
- ii. **मंगलवार 12 सितंबर, 2023** को, नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होने के नाते, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है और इसके बाद मास्टर निदेशों के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा "उपयुक्त और उचित" पाया गया है -- भारतीय रिज़र्व बैंक (पीएसबी के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए "उपयुक्त और उचित" मानदंड) दिशा-निर्देश दिनांक 02 अगस्त, 2019, के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर सरकारी निदेशकों के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और 08 जुलाई, 2016 या ऐसे अन्य निर्देश जो समय-समय पर निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए जारी किए गए हैं।
- iii. कम-से-कम **100 (एक सौ) शेयरधारकों** द्वारा हस्ताक्षरित वैध नामांकन लिखित रूप में है, जो अधिनियम के अंतर्गत या उनके विधिवत प्रतिनिधि द्वारा निदेशकों का चुनाव करने के लिए स्वत्वाधिकारी है, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा एक नामांकन जो एक कंपनी है को उक्त कंपनी के निदेशकों के एक संकल्प द्वारा बनाया जा सकता है और जहाँ ऐसा किया जाता है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति प्रमाणित करने के लिए संकल्प की एक प्रति, जिसे शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, शेयर विभाग, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली -110075 में कंपनी सचिव को संबोधित करते

हुए बैंक को भेजी जाएगी और इस प्रति को उस कंपनी की ओर से एक नामांकन माना जाएगा।

- iv. इस सूचना में दिए गए घोषणा पत्र के नमूना प्रारूप के अनुसार उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा देते हुए कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा वह चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है एवं वह निदेशक होने के लिए अधिनियम या योजना या विनियमों के तहत योग्य नहीं है तथा उसके द्वारा धारित शेयरों का एरियर वापस नहीं माँगा गया है, वैध नामांकन दिए जाएं। यह पुष्टि करते हुए कि ये विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं, उम्मीदवार के विधिवत हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरणों (बायोडाटा) तथा उन घटनाओं के संबंध में, जो प्रदान की गई जानकारी से संबंधित घोषणा पत्र देने के पश्चात् घटित होती हैं, यथाशीघ्र बैंक को पूरी जानकारी प्रदान करने का वचन देने के साथ इसे दिया जाएगा।
- v. नामांकन प्रपत्र और घोषणा पत्र का प्रोफार्मा इस सूचना में संलग्न किया गया है (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) पर भी उपलब्ध है:

11. नामांकन प्रपत्र जमा करना

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बैंक निदेशक के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक नोटिस में दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में, जिस पर **पंजाब नैशनल बैंक - शेयरधारक निदेशक का चुनाव - 2023** उल्लिखित हो, व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ कूरियर के द्वारा निम्न पते पर प्रेषित किए जाएं:

“शेयर विभाग,
पंजाब नैशनल बैंक,
प्रधान कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10,
द्वारका, नई दिल्ली -110075”

ताकि 12 सितंबर, 2023 को 05.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर या उससे पहले प्राप्त हो जाए।

- विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र;
- चुनाव में भाग लेने के हकदार न्यूनतम सौ शेयरधारकों से वैध नामांकन;
- संबंधित दस्तावेजों, प्रशंसापत्र के साथ नोटिस में संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और वचनपत्र जैसेकि **बायोडाटा की स्वप्रमाणित प्रतियां, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुभव आदि।**

वर्णित नामांकन प्रपत्र और अन्य दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण होने चाहिए, ऐसा न होने की स्थिति में नामांकन खारिज होने के लिए उत्तरदायी हैं।

कृपया ध्यान दें कि नामांकन फॉर्म स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कूरियर के माध्यम से उपर्युक्त पते के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर या शेयर विभाग के किसी अधिकारी से पावती प्राप्त किए बिना हाथ से प्रदान किए जाते हैं तो बैंक नामांकन फॉर्म प्राप्त न होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

12. नामांकन की जांच और निदेशक का चुनाव

- i. नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहला कार्यदिवस **बुधवार, 13 सितंबर, 2023** को जोकि नामांकन प्राप्त होने की नियत तारीख का निम्नलिखित पहला कार्यदिवस है. बैंक द्वारा नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारणों को दर्ज करने के बाद खारिज कर दिया जाएगा।
- ii. तदोपरान्त वैध नामांकन बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) / निदेशक मंडल के द्वारा जांच के योग्य होंगे जैसा कि इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशकों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में हो सकता है। जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध प्रकृति में समान हैं, बैंक उम्मीदवारों के "उपयुक्त और उचित" स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों की सख्ती पर विचार कर सकते हैं।
- iii. बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी/निदेशक मंडल द्वारा परामर्श के अनुसार उम्मीदवारों से आगे की जानकारी/दस्तावेज मांग सकता है।
- iv. जांच के बाद, यदि रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन है, तो नामित उम्मीदवार को उसके बाद निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा तथा समाचार पत्र में प्रकाशन के पश्चात् बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। नवनिर्वाचित निदेशक निदेशक 06 अक्टूबर, 2023 पद ग्रहण करेंगे।
- v. यदि एक से अधिक वैध नामांकन हैं, तो उम्मीदवारों के नाम **स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे और समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और ईजीएम में चुनाव आयोजित किया जाएगा।** दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में बहुमत के वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा और उसके नाम की घोषणा की जाएगी। नवनिर्वाचित निदेशक 06 अक्टूबर, 2023 से पद ग्रहण करेंगे।

13. नामांकन वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन कॉपी **गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 शाम 5.00 तक को कंपनी सचिव, पंजाब नेशनल बैंक, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली को संबोधित hosd@pnb.co.in पर ई-मेल कर ऐसा करने का हकदार होगा।**

14. विवाद

यदि कोई विवाद है, तो वह पंजाब नेशनल बैंक (शेयरों और बैठकों) विनियम, 2000 के विनियमन 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

15. निदेशक को हटाना

शेयरधारकों का ध्यान बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत चुने गए एक निदेशक को हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार पर कथित अधिनियम की धारा 9 (3 बी) के लिए आमंत्रित किया जाता है, जोकि वर्णित अधिनियम की धारा 9 (3 ए) की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते हैं।

16. निदेशकों की रुचि

यदि बैंक के निदेशक चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें कार्य की उपरोक्त मद में अभिरुचि या रुचि रखने वाला माना जा सकता है।

मद संख्या 2: श्रीमती की नियुक्ति। उमा शंकर, बैंक के बोर्ड में निदेशक

श्रीमती उमा शंकर को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना सं. eF.No.6/3/2011- बीओ. आई दिनांक 14 जुलाई, 2023 से प्रभावी और अगले आदेश तक नामित किया गया था।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

श्रीमती उमा शंकर को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश से केंद्र सरकार द्वारा निदेशक के रूप में नामित किया गया है तथा उनकी नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगी गई है।

श्रीमती उमा शंकर की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल इस प्रकार है:

पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड में श्रीमती उमा शंकर को आरबीआई की नामित निदेशक के रूप में 14.07.2023 से नियुक्त किया गया है।

श्रीमती शंकर जून, 1993 में ग्रेड बी में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा अधिकारी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक में नियुक्त हुईं। उन्होंने अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, तिरुवनंतपुरम तथा चेन्नई में आरबीआई के कार्यालयों में अपनी सेवाएं दीं हैं तथा उन्हें केंद्रीय बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / शहरी सहकारी बैंकों की देखरेख, कर्मियों का प्रशिक्षण, बैंकिंग लोकपाल के रूप में जनसामान्य की बैंकिंग से संबंधित शिकायतों का निस्तारण, जनसामान्य की वित्तीय साक्षरता बढ़ाना आदि का व्यापक अनुभव है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में शामिल होने से पहले, उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया।

श्रीमती शंकर दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर एवं कॉमर्स (ऑनर्स) में स्नातक की उपाधि धारक हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन, यूके से प्रबंधन, संगठन और शासन में एम.एससी. भी की है।

उनके नाम पर विभिन्न प्रकाशन हैं, जैसे, बैंकों के लिए अपने ग्राहक को जानें और मनी धनशोधन मानदंडों पर हैंडबुक, शहरी सहकारी बैंकों विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रबंधित के वित्तीय प्रदर्शन और विकास में बाधाओं पर राष्ट्रीय स्तर की अध्ययन रिपोर्ट (संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रेडिट यूनियनों के समकक्ष), शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए हैंडबुक और यूरोप में सहकारी बैंकों की सर्वोत्तम व्यवहारों पर सारांश रिपोर्ट।

वह 2015-16 में केरल राज्य योजना बोर्ड, केरल द्वारा स्थापित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों पर कार्य समूह का हिस्सा थीं, और उन्होंने इसकी रिपोर्ट में योगदान दिया था जो फरवरी 2016

में प्रकाशित हुई थी। उन्हें आरबीआई द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन जुबली छात्रवृत्ति 2008 से सम्मानित किया गया है।

वह वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक में तमिलनाडु और पुडुचेरी के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

ए) बैंक के कारोबार के संदर्भ में आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

बी) निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

सी) अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: शून्य

डी) सूचीबद्ध इकाई का नाम जिसमें श्रीमती शंकर पिछले तीन वर्षों में निदेशक नहीं रही: शून्य

ई) पंजाब नेशनल बैंक में शेयरधारिता: शून्य

श्रीमती शंकर को छोड़कर बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों में से कोई किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि या अभिरुचि नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने सिफारिश की है कि उनकी नियुक्ति का संकल्प शेयरधारकों की स्वीकृति के लिए ईजीएम में साधारण संकल्प के रूप में उनके समक्ष रखा जाए।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नेशनल बैंक
हस्ता/-

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.08.2023

नामांकन फार्म
(पीएनबी विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

सेवा में,
पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

ईजीएम नोटिस दिनांक 30.08.2023 के संदर्भ में, मैं, पंजाब नैशनल बैंक का एक शेयरधारक जिस के पास शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि को रु.2/- प्रत्येक (पूर्णतया प्रदत्त) केइक्विटी शेयर हैं, श्री/ श्रीमती

पुत्र/ पुत्री/पत्नी
श्री निवासी ..

.....
...को बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को होने वाली शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) में यथा प्रदत्त बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक के चुनाव लड़ने के लिए एतद्वारा नामित करता/करती हूँ।

नाम:

हस्ताक्षर:

धारित शेयरों की संख्या:

रजि. फोलियो नं.:

(यदि डीमटेरियलाइज्ड नहीं है)

डीपी आईडी सं. और क्लाइंट आईडी सं.:

(यदि डीमटेरियलाइज्ड है)

स्थान:

दिनांक:

टिप्पणियाँ:

- 1) यदि नामांकन एक कॉर्पोरेट निकाय द्वारा किया जाता है, नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अंतर्गत पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए, जिस में यह पारित किया गया था।
- 2) उम्मीदवारी को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए।
- 3) यदि ऊपर के किसी भी कॉलम को खाली छोड़ दिया जाता है या विवरण गलत पाए जाते हैं, तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

(पीएनबी विनियम के विनियम 65 का सन्दर्भ लें)

मैं, पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री/ श्रीमती.....

..... निवासी.....

.....

..... एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ:

क. मैं एक शेयरधारक हूँ जिसके पास शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट/ कट-ऑफ तिथि को बैंक के रु.2/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर हैं, और यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुना जाता हूँ, तो कार्यकाल के अंत तक इन शेयरों को रखने का वचन देता हूँ;

ख. मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों या क्षेत्रों में/ भुगतान और निपटान प्रणाली/ मानव संसाधन/ जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय प्रबंधन में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा, और मैं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3A के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके सबूत के रूप में, मैं इसके साथ प्रासंगिक प्रशंसापत्र, प्रस्तुत करता हूँ

**जो भी लागू नहीं हो उसे हटाएं*

ग. मैं

नामांकन

संख्या.....से.....

स्वीकार करता हूँ।

घ. मैं पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ;

ङ. मैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के प्रावधानों और मास्टर निर्देश के अंतर्गत बैंक का निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ।

च. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश,

छ. मैं न तो कोई लाभ का पद धारण करता हूँ और न ही मैं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 का/की कर्मचारी हूँ।

ज. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत अयोग्य नहीं हूँ;

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि:

- झ. मुझे किसी भी समय दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या मेरा भुगतान नहीं रोका गया है या मेरी लेनदारों से मिलीभगत नहीं रही है।
- ञ. मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं पाया गया है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है ।
- ट. मुझे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है ।
- ठ. मुझे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता या अन्यथा शामिल हो
- ड. मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है
- ड. निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान तथा इसके पश्चात् दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक के साथ मेरा कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होगा।
- ड. मैं किसी बैंक या रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (FI) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक द्वारा धारित एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ।
- ढ. मैं किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार देने, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ ।
- ण. मैंने किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या अनिरंतर रूप से छः वर्षों के लिए निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया है।
- त. मैं स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में नहीं लगा हूँ ।
- थ. मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के सदस्य के पद पर नहीं हूँ ।
- द. मैं चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न हैं।
- ध. मैं ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में ऐसे बैंक के सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक या समवर्ती लेखा-परीक्षक के रूप में संलग्न है, जिसमें चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया गया है ।
- न. मेरा पंजाब नेशनल बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूँ जिसके परिणामस्वरूप पंजाब नेशनल बैंक के साथ व्यापारिक हित हो सकते हैं।
- प. मेरा किसी बैंक या किसी भी अन्य बैंक द्वारा धारण किए जाने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है, यदि कोई संबंध होता है तो निर्वाचित होने पर निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व संबंध समाप्त कर लूंगा।
- फ. मैं वचन देता हूँ कि किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ तथा मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ ।
- ब. मैं निदेशक का पद ग्रहण करने से पूर्व (दिनांक 02.08.2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में) में प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ;

- भ. मैं उन घटनाओं के संबंध में यथाशीघ्र बैंक को पूरी जानकारी प्रदान करने का वचन देता हूँ जो प्रदान की गई जानकारी से संबंधित घोषणा पत्र देने के पश्चात् होती हैं तथा मैं प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ ।
- म. मैं यदि निर्वाचित होता हूँ, तो जब तक बैंक के निदेशक के पद पर रहूंगा तब तक सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ।
- य. मैं अन्य कंपनियों/बैंकों/अन्य संस्थाओं में अपने वर्तमान डायरेक्टरशिप के साथ-साथ पिछले डायरेक्टरशिप का विवरण नीचे देता हूँ:

कंपनी, बैंक, अन्य संस्थाओं के नाम	निदेशक विवरण यथा कार्यकाल, निर्देशन का स्वरूप, अवधि आदि।

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ / शीट जोड़ें)

र. मैं अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न करता हूँ जो मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि डीमटेरियलाइज्ड नहीं है)	
डीपी आईडी संख्या और ग्राहक आईडी संख्या (यदि डीमटेरियलाइज्ड है)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे।

न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के कोई अधिकारी की मुहर सहित हस्ताक्षर।

बैंक का नाम: पंजाब नेशनल बैंक

प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा और वचनपत्र
(यथोचित अनुलग्नकों के साथ)

पासपोर्ट आकार का
छायाचित्र यहां
चिपकाएं

प्रत्याशी द्वारा2023 तक उचित अनुलग्नकों के साथ घोषणा और वचन पत्र

क्र.सं.	विवरण	प्रकट की जाने वाली जानकारी			
I	व्यक्तिगत विवरण				
1.	पूरा नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	उपनाम	
2.	पिता का नाम				
3.	लिंग (स्त्री/पुरुष/अन्य)				
4.	वर्तमान पता				
5.	स्थायी पता				
6.	ई-मेल पता एवं वैकल्पिक ई-मेल पता: एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन नंबर: मोबाइल नंबर:				
7.	राष्ट्रियता				
8.	जन्म तिथि (दिन /माह/ वर्ष) और आयु	- - / - - / - - - - आयु: - - वर्ष - - माह - - - दिन			
9.	शैक्षिक योग्यता				

10.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)									
11.	आधार संख्या (वैकल्पिक)									
12.	(ए) स्थायी खाता संख्या (पैन) (बी) प्रभार जहां प्रस्तावित निदेशक का कर मूल्यांकन किया जाता है (आयकर क्षेत्राधिकार) / आयकर सर्कल / वार्ड का नाम और पता (सी) पिछले 3 वर्षों के रिटर्न फ़ाइल करने और करों के भुगतान का विवरण	<table><tr><td>फ़ाइल करने की तिथि</td><td>भुगतान किए गए कर की राशि (INR)</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	फ़ाइल करने की तिथि	भुगतान किए गए कर की राशि (INR)						
फ़ाइल करने की तिथि	भुगतान किए गए कर की राशि (INR)									
13.	लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, या एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में विवरण सूचना प्रौद्योगिकी/ भुगतान एवं निपटान प्रणाली/ मानव संसाधन/ जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित मामले या किसी अन्य मामले के संबंध में <i>प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव</i> पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में विवरण, जिनका भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव बैंक के लिए उपयोगी होंगे।									
14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त आलेख)									
15.	न्यूनतम दस वर्षों को कवर करने वाला पिछला व्यवसाय, जिसमें काम किये गए संगठनों का पूरा पता, नियुक्ति की तिथि, कार्यमुक्ति की तिथि (कारणों सहित), पदनाम, आदि शामिल हों।									
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित को इंगित करें:									

	(क) भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (ICAI) की सदस्यता संख्या: (ख) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथि: (ग) पंजीकृत फर्म/ फर्मों का नाम और पता: (घ) वर्तमान में फर्म (फर्मों) या आपके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा (ओं) का विवरण:																
17.	शाखा और खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाते) के साथ उस बैंकर का नाम, जहां आप प्राथमिक खाताधारक हैं:	<table border="1"> <tr> <th>बैंक का नाम</th> <th>शाखा</th> <th>खाते का प्रकार</th> <th>खाता संख्या</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या											
बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या														
18.	आपके द्वारा, जीवनसाथी द्वारा और आपके अव्यस्क बच्चे द्वारा यदि भौतिक या अमूर्त रूप में किसी भी प्रकार से रखी गई शेयरहोल्डिंग का विवरण। (डीमैट / शेयरहोल्डिंग प्रमाणपत्र संलग्न करें)																
19.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी																
II	प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध																
1.	बैंक से संबद्ध रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) तथा कंपनी (परिभाषाओं के विनिर्दिष्ट विवरण) नियम, 2014)																
2.	क) संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें आप रुचि रखते हैं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें) बैंकों / एनबीएफसी / कंपनियों / निगमित निकायों / फर्मों / व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए। ख) उन संस्थाओं की सूची, जिनमें आप लाभकारी स्वामित्व रखते हैं [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और साथ ही लागू एमसीए																

	के महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों का सन्दर्भ लें] ग) ट्रस्टों की सूची जिसमें आपके पास ट्रस्टी का पद है (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें) :																	
3.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें आप बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) "पर्याप्त हित" के अनुसार पर्याप्त हित रखते हैं। (i) किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या अव्यस्क बच्चे द्वारा, उसके शेयर में, चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभदायक हित रखना है, जिसपर भुगतान की गई राशि, कंपनी की चुकता पूंजी से पांच लाख रुपये या दस प्रतिशत से अधिक हो, जो भी कम हो; (ii) एक फर्म के संबंध में, तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या अव्यस्क बच्चे द्वारा चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभकारी हित रखना, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।	<table><tr><td>कंपनी / फर्म का नाम</td><td></td></tr><tr><td>इसके निगमन का देश</td><td></td></tr><tr><td>शेयर की संख्या</td><td></td></tr><tr><td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td><td></td></tr><tr><td>धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य</td><td></td></tr><tr><td>कुल चुकता पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता</td><td></td></tr><tr><td>लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के संदर्भ में)</td><td></td></tr><tr><td>क्या इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी है</td><td></td></tr></table>	कंपनी / फर्म का नाम		इसके निगमन का देश		शेयर की संख्या		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य		धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य		कुल चुकता पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता		लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के संदर्भ में)		क्या इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी है	
कंपनी / फर्म का नाम																		
इसके निगमन का देश																		
शेयर की संख्या																		
प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य																		
धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य																		
कुल चुकता पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता																		
लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के संदर्भ में)																		
क्या इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी है																		
4.	विदेशों में निगमित और भारत में कारोबार करने वाली संस्थाओं को धारिताओं का विवरण।																	
5.	बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या अतीत में आप बोर्ड/सलाहकार आदि के सदस्य रहे हैं (उस अवधि का विवरण दें जिसके दौरान ऐसा कार्यालय रहा हो/रहा था)																	

6.	यदि किसी ऐसी संस्था, से जुड़े हों जो खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां करती हों (संगठन के स्वरूप का उल्लेख किया जाना चाहिए), तो उसका विवरण दें।	
7.	यदि किसी स्टॉक ब्रोकर या किसी ऐसी संस्था से संबद्ध हों जो शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों, में संलिप्त हों, उनका विवरण दें।	
8.	निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, जिनका आपने व्यक्तिगत रूप से तथा/ या उक्त मद सं० II (2) से (7) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपभोग किया गया हो।	
9.	बैंक/एनबीएफसी/कोई अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में अतीत में चूक कर चुकी हैं या जानबूझकर चूककर्ता घोषित की गई हैं।	
III	व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकार्ड	
	निदेशक पद के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियाँ।	
IV	प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो	
1.	क) एक पेशेवर संघ/निकाय के सदस्य के रूप में, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू की गई या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में दोषसिद्धि हुई हो या क्या किसी भी समय किसी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, तो उसका विवरण।	

	ख) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप है, तो उसका विवरण।	
2.	अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू किया गया या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में स्वयं को/ और या आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए उपरोक्त बिंदु II (2) से (7) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के खिलाफ दोषी ठहराया गया हो।	
3.	आपराधिक अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप दोषी ठहराए गए।	
4.	यदि एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन में लिप्त है, तो उसका विवरण।	
5.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता को आकर्षित किया जाता है, तो उसका विवरण।	
6.	यदि दिवालिया घोषित कर दिया गया है या भुगतान निलंबित किया गया है या लेनदारों के साथ समझौता किया गया है, तो उसका विवरण।	
7.	यदि कोई विकृत मस्तिष्क का पाया जाता है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण	
8.	(क) यदि आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक क्रूरता या अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण. (ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उसका विवरण.	

9.	एक पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करने के अलावा यदि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के तहत कोई भी लाभ का पद रखते हैं, तो उसका विवरण।	
10.	यदि किसी व्यक्ति या ऊपर बिंदु सं० II (2) से (7) में किसी भी संस्था के रूप में, पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी से किसी भी जांच / सतर्कता/मामलों की जांच के अधीन हैं, तो उसका विवरण।	
11.	यदि सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकरण की अपेक्षानुरूप नियमों/विनियमों/संवैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण	
12.	यदि किसी भी नियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी, या न्यायालय द्वारा किसी व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण निंदा की गई, फटकार लगाई गई, प्रतिबंधित, निलंबित, बाधित, रोक लगाई गई हो, या अन्यथा मंजूरी दी गई हो, तो उसका विवरण। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए ऐसे आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जो बाद में पूरी तरह से बदल दिए गए हों/ पूर्णतया रद्द कर दिए गए हों, परन्तु इन्हें ऐसी स्थिति में वर्णित करना आवश्यक होगा जहाँ तकनीकी कारणों जैसे अधिकार क्षेत्र की कमी या सीमित होने के कारण बदला/ रद्द किया गया हो न कि योग्यता के आधार	

	पर। यदि कोई आदेश अस्थायी रूप से रोका गया है तथा अपीलीय न्यायालय की कार्रवाई लंबित है, तो उसका भी वर्णन किया जाना चाहिए	
v	सामान्य जानकारी	
1.	यदि सनदी लेखाकार, वकील आदि जैसे पेशेवर और किसी भी बैंक में वर्तमान में कोई व्यावसायिक कार्य कर रहे / करते हैं, तो बैंक के नाम और बैंक के साथ संबंध की अवधि सहित विवरण प्रदान करें।	
2.	यदि कोई सांसद / एमएलए / एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारक है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI	प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, यदि कोई अन्य सूचना, जो "उपयुक्त और समुचित" का मूल्यांकन करने के लिए सुसंगत हो तो उसका विवरण प्रदान करें।	
शपथ पत्र		
मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य एवं पूर्ण है। मैं बैंक को उन घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी यथाशीघ्र प्रदान करने का वचन देता हूँ जो मेरी नियुक्ति के पश्चात् घटित होती हैं जो उपरोक्त प्रदान की गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं। बैंक के साथ निष्पादित किये जाने वाले प्रसंविदा विलेख के निष्पादन का भी वचन देता हूँ।		
स्थान: दिनांक: के हस्ताक्षर		उम्मीदवार
संलग्नक: टिप्पणी:		
जहां भी स्थान पर्याप्त नहीं है, कृपया कालानुक्रमिक क्रम में और उपयुक्त प्रति संदर्भ के साथ अनुलग्नक के रूप में जानकारी संलग्न करें। प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्नकों सहित) उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।		

स्थान :		
दिनांक :		
नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की टिप्पणियां इस बात से संतुष्ट हैं कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है।		
स्थान :		एनआरसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
दिनांक :		

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075

(E-mail id: hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank will be held on **Wednesday, 27th September, 2023 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

Item No.1: To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as “Banking Regulation Act”), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as “PNB Regulations”) made pursuant to Section 19 of the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (“SEBI Listing Regulations”) and RBI Master Directions on ‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 (hereinafter referred to as “RBI Master Directions” and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated March 25, 2015 and dated July 08, 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors in Public Sector Banks (hereinafter referred to as “GOI Guidelines” and further amendments thereto, if any) and pass the following resolution:-

“RESOLVED THAT one Director elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, PNB Regulations, RBI Master Directions and GOI Guidelines, be and is hereby **appointed** as the Director of the Bank to assume office with effect from 06th October, 2023 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption”.

The aforesaid Resolution shall also be considered to be under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

Item No.2: To consider and approve the appointment of Smt. Uma Sankar as Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the Board of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation **17(1C)** of the SEBI Listing Regulations, as amended, read with clause (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Smt. Uma Sankar vide DFS, Ministry of Finance, Government of India’s Notification no. eF.No.6/3/2011-BO.I dated 14th July, 2023 as the Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the Board of the Bank with effect from 14th July, 2023 and until further orders, be and is hereby **approved** on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Sd/-
(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 30.08.2023

NOTES:

1. Extraordinary General Meeting through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its General Circular No. 11/2022 dated 28th December, 2022 read with its preceding Circulars issued in April, 2020 & May, 2022, permitted the companies, to conduct their EGMs through VC or OAVM upto 30th September 2023. Further, SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, has also extended the relaxations to the listed entities in respect of holding General Meetings through VC/OAVM till 30th September, 2023.

In accordance with the aforesaid Guidelines and the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank is being conducted through VC/OAVM which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The shareholders attending the EGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank.

The facility for participation in the EGM through VC/OAVM, voting through remote e-voting and e-voting during the EGM, will be provided by **National Securities Depository Limited (NSDL)**.

Shareholders may join the EGM through VC/OAVM facility, by following the procedure as mentioned in this Notice, which shall be kept open for the shareholders on 27th September, 2023 from 10:30 a.m. i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the EGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled start time.

Shareholders may please note that the VC/OAVM facility, provided by NSDL, allows participation of at least 1,000 shareholders on a 'first-come, first-serve' basis. The shareholders holding 2% or more of the share capital of the Bank, Promoter, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc. can attend the EGM without any restriction on account of 'first-come, first-serve' basis.

2. The relevant Explanatory Statement setting out material facts in respect of Item Nos. 1 & 2 as set out in this Notice, is annexed hereto.

3. Appointment of Proxy:

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. **Pursuant to the aforesaid MCA & SEBI Circulars, as the**

physical attendance of the Shareholders has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders will not be available for the EGM and therefore, the instrument for appointing proxy and attendance slip are not being attached to the Notice.

4. Appointment of an Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend the EGM through VC / OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, is submitted to the Bank in hard copy addressed to 'Share Department, Punjab National Bank, West Wing, Second Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075' or through email at hosd@pnb.co.in OR to the Scrutinizer by e-mail to sgsdel@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. of Friday, the 22nd September, 2023.**

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

5. Specified/Cut-Off Date:

The Specified/Cut-Off Date for the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to Nominate, Contest and Vote for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government (i.e. Item No.1), is **Friday, 25th August, 2023.**

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the cut-off date for determining the eligibility of shareholders for e-voting in respect of the Agenda Item relating to the appointment of the Director (i.e., Item No.2), is **20th September, 2023 (Wednesday).**

6. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

7. Voting through Electronic Means

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, 2015 and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its

shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

- II. Those shareholders, who will be present in the EGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolution(s) through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the EGM.
- III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The instructions for remote e-voting are as under:
 - a. The remote e-voting period begins at 09.00 a.m. on Saturday, 23rd September, 2023 and ends at 05.00 p.m. on Tuesday, 26th September, 2023. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date(s) may cast their vote electronically.
 - b. The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below.

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are as follows:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining the virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on ‘e-Voting facility provided by Listed Companies’, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat accounts/website of Depositories/Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile numbers and email Ids in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. If you are already registered for NSDL IDeAS facility , please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “ Beneficial Owner ” icon under “ Login ” which is available under ‘IDeAS’

section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on the option available against the name of the Bank or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at <https://eservices.nsdl.com>. Select “**Register Online for IDeAS**” Portal or click at <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp>
3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on option available against the name of the Bank or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
4. Shareholders can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility for seamless voting experience by scanning the QR code mentioned below.

NSDL Mobile App is available on



App Store



Google Play



Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi/Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by Bank. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on Bank's name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) Login Method for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

Steps to Log-in to NSDL e-Voting website

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.
Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are as follows:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID. For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****

c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***
--	--

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
 - a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
 - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
 - c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.
6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com
 - b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address, etc.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on “Login” button.
9. After you click on the “Login” button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join the EGM on NSDL e-Voting system

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies “EVEN” in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in ‘active’ status.
2. Select “EVEN” of Punjab National bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining the EGM virtually, you need to click on “VC/OAVM” link placed under “Join Meeting”.
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/ modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
5. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to sgsdel@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution/Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution/Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the “[Forgot User Details/Password?](#)” or “[Physical User Reset Password?](#)” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022-48867000 and 022-24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this Notice:

1. In case shares are held in physical mode, please provide folio no., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR card by email to the Bank's RTA at beetalrta@gmail.com
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID+CLID or 16 digit Beneficiary ID), name, client master or copy of consolidated account statement, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR Card) to the Bank's RTA at beetalrta@gmail.com. If you are an Individual shareholder, holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **Step 1 (A)** i.e. "Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode".
3. Alternatively, shareholders may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing the above mentioned documents.

Instructions for shareholders for E-Voting on the day of EGM are as under:

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is the same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those shareholders, who will be present in the EGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolution(s) through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM.
3. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the EGM, however, they will not be eligible to vote at the EGM.
4. Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.
5. The details of the persons who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-voting on the day of the EGM shall be the same as mentioned for remote e-voting.

Instructions for shareholders for attending the EGM through VC/OAVM are as under:

1. Shareholders will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under **"Join Meeting"** menu against the name of the Bank. You are requested to click on VC/OAVM link placed under 'Join Meeting' menu. The link for VC/OAVM will be available in

'Shareholder/Member login' where the EVEN of Bank will be displayed. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the Notice to avoid last minute rush.

The Helpline details of the persons who may be contacted by the Shareholder needing assistance with the use of technology, before or during the EGM shall be the same as mentioned for remote e-Voting.

2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience. Further, shareholders should have internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. Please note that the participants connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
3. Shareholders, who would like to express their views/ask questions during the EGM with regard to the business to be transacted at the EGM, need to register themselves as a 'Speaker' by sending their request from their registered email id mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in on or before 05.00 p.m. of 22nd September, 2023. Only those shareholders who have registered themselves as a 'Speaker', will be allowed to express their views/ ask questions during the meeting.
4. **Shareholders can submit their queries *only* with regard to the agenda to be transacted at the EGM** from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in in advance on or before 05.00 p.m. of 22nd September, 2023. Shareholders who will participate in the EGM through VC/OAVM can also pose question/feedback through question box option. Such questions by the Shareholders shall be taken up during the meeting or suitably replied to by the Bank, later.
5. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the EGM through VC/OAVM Facility.

8. Scrutinizer

M/s SGS Associates LLP, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the EGM and thereafter, the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges, NSDL and the Bank.

9. Other Information

- a) Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated **05th** January, **2023** read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and the MCA General Circular No.11/2022 dated 28th December, 2022 read with its preceding Circulars, the Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Bank's STA/Depository Participant(s).
- b) In compliance with the aforesaid SEBI Circulars, the Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. "Beetal Financial & Computer Services (P) Limited" / Depository Participant(s).
- c) Shareholders may also note that the Notice of the EGM is also being made available on the Bank's website www.pnbindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com
- d) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their email ids registered with the Bank's RTA in case of shares held in physical form and their respective Depository Participant in case of shares held in electronic form.
- e) Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March, 2023 regarding 'Common and simplified norms for processing investor's service requests by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination', shareholders holding shares in physical form are requested to furnish/PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers with the Bank's RTA latest by 30th September, 2023. The folio(s) wherein any one of the aforesaid document/details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.
- f) In case of changes, if any, pertaining to name, postal address, email address, telephone/mobile number, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the shareholders may get the same updated with the Bank's RTA, in case of shares held in physical form, and with their respective Depository Participant(s), in case of shares held in electronic form.
- g) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA for consolidation into a single folio.
- h) As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed entities can be transferred only in dematerialized form with effect from, 01st April,

2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. Shareholders holding shares in physical form are therefore requested to convert their holdings to dematerialized form. The process of dematerialisation of shares is available on the Bank's website i.e. <https://www.pnbindia.in/> under 'Investor Info'.

Explanatory Statement

Item No.1: Election of One Shareholder Director

Pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors shall include Directors elected by their Shareholders (other than Central Government) in the General Meeting. The number of such directors to be elected by Shareholders shall be as given hereunder:

- One Director, where public shareholding is not more than sixteen per cent of the total paid-up capital;
- Two Directors where public shareholding is more than sixteen per cent but not more than thirty-two per cent of the total paid-up capital;
- Three directors where public shareholding is more than thirty-two per cent of the total paid-up capital

As the public shareholding in the Bank is 26.85%, Shareholders other than the Central Government are entitled to elect two Directors on the Board of the Bank.

The Bank has two Directors representing the Shareholders viz. Shri Gautam Guha and Smt. (Dr.) Rekha Jain. The term of Shri Gautam Guha is completing on 05th October, 2023 and accordingly, the Bank proposes to conduct election to fill in the vacancy that will arise on that date.

The shareholders (other than the Central Government) are entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act/Scheme/Regulations/Notification/Guidelines.

1. Legal Provisions

The relevant extracts / portions of the relevant Act/Scheme/Regulations/Notifications/Guidelines have been reproduced hereunder:

Act/Scheme/Regulations/Notifications	Provisions	Short Particulars
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	▪ Substantial Interest ▪ Prohibition of Common Directors ▪ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C)	▪ Restriction on voting rights ▪ No. of Directors to be elected by the shareholders ▪ Special knowledge in certain fields

	Section 9(3AA) and Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	▪ No person shall be eligible to be elected as Director unless he is a person having 'fit and proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ▪ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ▪ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	▪ Term of office of elected directors ▪ Disqualifications from being elected as a Director or being a Director of the Bank ▪ Vacation of office of Director ▪ Removal from office of an elected Director ▪ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ▪ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69	▪ Exercise of rights of joint holders ▪ Voting at General Meetings ▪ Directors to be elected at General Meetings ▪ List of Shareholders ▪ Nomination of candidates for election ▪ Scrutiny of nominations ▪ Election disputes ▪ Determination of voting rights ▪ Voting by duly authorized representative

RBI ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 - DBR.Appt.No:9/29.67.001/2019 -20 dated 02.08.2019 and subsequent amendment(s) thereto.	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper Criteria for Elected Directors on the Boards of Public Sector Banks.
Guidelines issued by Government of India for the appointment of Part-Time Non Official Directors dated 25 th March, 2015 and subsequent amendments dated 08 th July 2016 read with GOI letters dated 28 th April 2015 and 20 th July, 2016 and amendments thereto, if any.	As per Govt. of India Notification dated 3 rd September 2013, these Guidelines are to be kept in mind while carrying out determination of 'Fit and Proper' Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	
RBI Master Circular dated 1st July 2015, as amended including any further circular in this regard.	Granting loans and advances to relatives of Directors.	
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.	Provisions relating to Independent Director and their appointment.	

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, the Banking Regulation Act, the Scheme, PNB Regulations as well as RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs dated 02nd August, 2019, as amended and Guidelines issued by Government of India has been made available on the Bank's website www.pnbindia.co.in. Such extracts will be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Punjab National Bank through email at hosd@pnb.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms **i.e. by 05.00 p.m. of Tuesday, 12th September, 2023.**

2. Participation in Election

Such of those shareholders whose name appear on the Register of Shareholders/ Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL as on the Specified/Cut-off Date i.e., **Friday, 25th August, 2023** shall be entitled to participate i.e., **nominate, contest and vote** in the election of One Shareholder Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to vote in the election of Director.

3. Qualifications required for being Elected as a Director of the Bank

- i) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:
 - A. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -
 - agriculture and rural economy
 - banking
 - co-operation
 - economics
 - finance
 - law
 - small scale industry
 - any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank
 - [RBI vide its Circular No. DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November, 2016 has notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, would be useful to a banking company, State Bank of India, subsidiary bank and a corresponding new bank (PSBs), as the case may be].
 - B. represents the interest of depositors; or
 - C. represents the interest of farmers, workers and artisans
- ii) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should have 'Fit and Proper' status.
- iii) In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.
- iv) Further, the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

4. Disqualifications from being Elected as a Director of the Bank

- i) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being, a Director:
 - a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.
- ii) If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Master Direction - Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 dated 02nd August, 2019 and Govt. of India Guidelines for Appointment of Part-Time Non Official Directors dated 25th March, 2015 and 08th July 2016 read with Govt. of India Notification dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.

5. Tenure

In terms of Clause 9(4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

6. Master Direction - Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019

The Reserve Bank of India in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 has issued Master Directions on ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) dated **02nd August, 2019** laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as Directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

The Authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'fit and proper' status etc. are as under:

- i) **Authority:** The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee ['the Committee'] consisting of a minimum of three Non-Executive Directors from amongst the Board of Directors, out of which not less than one-half shall be Independent Directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under Section 9(3)(i) of the Act. Further, the GoI Nominee Director and the Director nominated under Section 9(3)(c) of the Act cannot be part of this Committee. The Non-Executive Chairperson of the Bank may be appointed as a member of the Committee but shall not chair such Committee. The quorum of the Committee shall be three, including Chairman.

- ii) **Manner and procedure:** The Bank shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format from the persons who file their nominations for election. The Nomination and Remuneration Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.
- iii) **Criteria:** The Nomination and Remuneration Committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:
- **Age** – The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
 - **Educational qualification** - The candidate should at least be a graduate.
 - **Experience and field of expertise** - The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in Section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated 24th November, 2016.
 - **Disqualifications** - In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed under Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980:
 - a) The candidate should not be a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other Bank.
Explanation: *For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.*
 - b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a Public Sector Bank. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as Directors if they do not enjoy any managerial control in them.
 - c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a Bank if he/she has served as Director in the past on the board of any Bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
 - d) The candidate should not be engaged in the business of stock broking.
 - e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).
 - f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a **Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India.**

- g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as **Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.**
- **Tenure:** An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.
- **Professional Restrictions –**
 - a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned Bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that Bank.
 - b) The candidate should not be having any professional relationship with a Bank or any NOFHC holding any other Bank.
 - c) Provided that a candidate having any such relationship with a Bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Nomination and Remuneration Committee that such relationship with the Bank shall be severed if he is elected as a Director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a Director of the Bank.
- **Track Record and Integrity:** The candidate should not be under adverse notice of any Regulatory or Supervisory Authority/Agency, or Law Enforcement Agency and should not be a defaulter of any lending institution.
- iv) **The Banks shall obtain from the elected director:**
 - a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of Director.
 - b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
 - c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh declaration and undertaking incorporating the changes.
- v) **The Banks shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,**
 - a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/ investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.
 - b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.
 - c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.
- vi) **Where the elected director:**
 - a) fails to:
 - (i) submit the Deed of Covenant or declaration; or
 - (ii) make proper disclosures; or

- (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or
- b) makes incomplete or incorrect disclosures, or
- c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above;

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

7. Govt. of India Guidelines dated 25th March 2015 and 08th July, 2016

As advised by Govt. of India vide its letter dated 3rd September, 2013 the 'Nomination and Remuneration Committee of Board shall keep in mind the Guidelines issued by GOI for Appointment of Non Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Director. The GOI has forwarded revised Guidelines dated 25th March 2015 and amendments dated 8th July 2016 to Public Sector Banks vide its letters dated 28th April 2015 and 20th July, 2016, the gist of which is as follows:

i. General

- a) Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
- b) The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

ii. Experience

- a) Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
- b) Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/ EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
- c) Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
- d) Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

- e) However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits.
- f) As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

iii. Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

iv. Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

v. Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

vi. Disqualifications

- a) A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
- b) Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, Members of Parliament, Members of Legislative Assemblies, Members of Legislative Councils and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- c) No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- d) If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as NOD in any Nationalised Bank/PSB.
- e) If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalised Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as NOD in the same bank.

vii. Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company if such Director has already been a NOD /

Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

viii. Professional restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

ix. Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

8. List of Shareholders

As provided in Regulation 64 of the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended, a copy of the List of Shareholders will be available at Share Department, Head Office, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi from **Friday, 01st September, 2023 onwards** for purchase by Shareholders at Rs. 5/- per 1,000 words and part thereof subject to a maximum of Rs. 50,000/- (including for full shareholders' list) by Demand Draft in favor of Punjab National Bank payable at New Delhi. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used only for canvassing in the election and not for any other purpose whatsoever.

9. Inspection of Register of Shareholders

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office, New Delhi on all working days (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e. from Monday to Friday and first and third Saturdays between 11.00 a.m. to 4.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders. If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information, the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- per 1,000 words or part thereof, subject to maximum of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only), including for complete shareholders' list.

10. Nomination of Candidates for Election

No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless:

- i. In terms of Regulation 65 of the Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 he / she is a shareholder holding not less than **100 (One hundred) shares** of the Bank as on **Friday, 25th August, 2023** being the Specified Date/Cut-off Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- ii. As on **Tuesday, 12th September, 2023**, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,

1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Master Directions - Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions dated 02nd August, 2019, read with Guidelines dated 25th March, 2015 and 08th July, 2016 issued by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

- iii. The valid nomination is in writing signed by at least **100 (One hundred) shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Bank addressed to the Share Department, Punjab National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi -110075 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- iv. The valid nominations are to be accompanied by a declaration signed by the candidate as per the specimen form of declaration furnished in this Notice duly signed before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations from being a Director and there are no calls in arrears in respect of the shares held by him/her. The same should be accompanied with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- v. The proforma of Nomination Form and Declaration Form are annexed to this Notice (also available on the Bank's website: www.pnbindia.in).

11. Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit the following documents in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope **super scribing thereon "Punjab National Bank - Election of One Shareholder Director – 2023, either by hand delivery OR through Speed Post/Regd. Post/Courier addressed to:**

**"The Share Department,
Punjab National Bank,
Head Office, Plot No.4, Sector 10,
Dwarka, New Delhi – 110075"**

so as to reach on any working day on or before 05.00 p.m. on 12th September, 2023:

- Duly filled in Declaration Form;
- Valid Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the related documents, testimonials, viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.

The said nomination forms and other documents should be complete in all respect failing which the nominations are liable to be rejected.

Please note that the Bank shall not be responsible for non-receipt of Nomination forms, in case the same are dispatched through Speed Post/Regd. Post/Courier to an address other than the aforementioned address OR hand delivered without receipt of acknowledgement from an Official of the Share Department.

12. Scrutiny of Nominations and Election of Director

- i. Nominations shall be scrutinized by the Bank on **Wednesday, 13th September, 2023** which is the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- ii. Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) in terms of RBI Directions and Govt. of India Guidelines. As restrictions imposed by RBI Directions and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the 'Fit & Proper' status of the Candidates.
- iii. The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the NRC seek further information / documents from the Candidates.
- iv. After scrutiny, if there is only one valid nomination for the vacancy, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name shall be informed to the Stock Exchanges and uploaded on the Bank's website followed by publication in the newspapers. The newly elected director will assume office with effect from 06th October, 2023.
- v. If there is more than one valid nomination, the names of the candidates shall be **informed to the Stock Exchanges and uploaded on the Bank's website followed by publication in the newspapers and Election will be held at the EGM.** The candidate securing the majority of the votes cast through remote E-voting and E-voting at the Meeting will be declared as elected and his/her name will be announced. The newly elected director will assume office with effect from 06th October, 2023.

13. Withdrawal of Nominations

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so by emailing a scanned copy of the signed letter to this effect addressed to the **Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Head Office,**

Dwarka, New Delhi at hosd@pnb.co.in by 05.00 p.m., on or before Thursday, 21st September, 2023.

14. Disputes

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

15. Removal of a Director

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

16. Interest of Directors

Directors of the Bank in case they decide to contest the elections, may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

Item No.2: Appointment of Smt. Uma Sankar, Director on the Board of the Bank

Smt. Uma Sankar was nominated as Director on the Board of the Bank by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India under Section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.6/3/2011-BO.I dated 14th July, 2023 with effect from 14th July, 2023 and until further orders.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, approval of the shareholders is sought for the appointment of Smt. Uma Sankar as Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

The brief profile of Smt. Uma Sankar is as under:

Smt. Uma Sankar was appointed as RBI Nominee Director on the Board of Punjab National Bank w.e.f. 14.07.2023.

Smt. Sankar joined the Reserve Bank of India as a Direct Recruit Officer in Grade B in June 1993. She has served in Offices of RBI at Ahmedabad, Pune, Mumbai, Trivandrum and Chennai and has wide experience in various fields of central banking such as, supervision of Banks/ Non-Banking Financial Companies/Urban Co-operative Banks, training of personnel, resolution of banking related complaints of the common man as Banking Ombudsman, enhancing financial literacy among the public, etc.

Prior to joining the Reserve Bank of India, she worked in the Life Insurance Corporation of India (LIC) as an Assistant Administrative Officer.

Smt. Sankar holds Master in Business Economics and Bachelor's degree in Commerce (Honors) from Delhi University. She has also awarded with M.Sc. in Management, Organisations and Governance from London School of Economics and Political Science, London, UK.

She holds various publications in her name, viz., Handbook on Know Your Customer and Anti Money Laundering Norms for the banks, National level Study Report on the Financial Performance and Impediments in Growth of the Urban Cooperative Banks (equivalent to the credit unions in USA) exclusively managed by women, Handbook for the Directors of the Urban Cooperative Banks and Summary Report on the Best Practices of Cooperative banks in Europe.

She was part of the working group on Non-Banking Financial Institutions set up by Kerala State Planning Board, Kerala, 2015-16, and contributed to its report which was published in February 2016.

She was awarded the prestigious Golden Jubilee Scholarship 2008 by the RBI.

She is presently serving as Regional Director for Tamil Nadu and Puducherry, Reserve Bank of India.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- a) The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Reserve Bank of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- b) There is no inter-se relationship between Directors.
- c) Directorship in other listed entities: Nil
- d) Name of listed entity in which Smt. Sankar has ceased to be director in the past three years: Nil
- e) Shareholding in Punjab National Bank: Nil

Except Smt. Sankar, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for her appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the EGM, for seeking their approval.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Sd/-
(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 30.08.2023

Sr. No.	
---------	--

Nomination Form

(Refer Regulation 65 of the PNB Regulations)

To,

**Punjab National Bank
Head Office, New Delhi**

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to EGM Notice dated 30.08.2023, I,
a shareholder of Punjab National Bank holding equity shares of Rs.2/- each
(fully paid-up) as on Friday, 25th August, 2023 i.e., the Specified / Cut-off Date for
participating in the Election, do hereby nominate
Shri/Smt..... son/
daughter/wife of..... residing at
.....
..... for contesting election of a Director of Punjab
National Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of
the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the
Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Wednesday,
27th September, 2023.

Name:

Signature:

Number of shares held:

Regd. Folio No.:

(if not dematerialized)

DP ID No. & Client ID No.:

(If dematerialized)

Place:

Date:

Notes:

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- 3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

Declaration by the Candidate

(Refer Regulation 65 of the PNB Regulations)

I, son/daughter/wife of Shri/Smt.
.....resident of
hereby confirm that:

- a. I am a shareholder holding equity shares of Rs.2/- each of the Bank as on 25th August, 2023 i.e., the Specified /Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or in matters or areas relating to Information Technology /Payment & Settlement Systems / Human Resources / Risk Management / Business Management, the special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials,

**Delete whichever is not applicable*

- c. I accept the nominations numbering to
- d. I am willing to contest for the election of Director of Punjab National Bank;
- e. I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 and Master Directions issued by RBI, and Guidelines issued by Govt. of India with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks,
- f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
- g. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013;

I further declare that:

- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors.
- i. I have not been found to be of unsound mind and have not been so declared by a competent court
- j. I have not been convicted by any court of law

- k. I have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude or otherwise
- l. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court
- m. I will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter.
- n. I am not a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other Bank.
- o. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities.
- p. I have not served as Director in the past on the board of any Bank/FI/ RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- q. I am not engaged in the business of stock broking.
- r. I am not holding the position of a Member of Parliament or State legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).
- s. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India.
- t. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Punjab National Bank in which nomination for election is filed.
- u. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Punjab National Bank nor am I engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Punjab National Bank.
- v. I am not having any professional relationship with a Bank or any NOFHC holding any other bank and undertake to sever the relationship, if any, with the Bank if elected before assuming charge as a Director.
- w. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- x. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Master Directions dated 02.08.2019) before assuming office as a Director;
- y. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants.
- z. I undertake to comply with relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as Director of the Bank, if elected.

aa. I herein furnish below the details of my present as well as past directorship in other Companies/ Banks/ other entities:

Name of the Company, Bank, other entities	Directorship details viz., tenure, nature of directorship, period, etc.

(add additional rows / sheets if necessary)

bb. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects.

Name	
Signature	
Number of shares held	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank.

Name of the Bank: Punjab National Bank

Declaration and Undertaking by a Proposed Director
(with appropriate enclosures)

Affix passport size
photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on2023					
Sr. No.	Particulars	Information Disclosed			
I	Personal details				
1.	Name in full	First Name	Middle Name	Last Name	
2.	Father's Name				
3.	Gender (M/F/Others)				
4.	Present Address				
5.	Permanent Address				
6.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:				
7.	Nationality				
8.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	- - / - - / - - - - Age: - - years - - months - - days			
9.	Educational Qualifications				

10.	Director Identification Number (DIN)										
11.	Aadhaar Number (optional)										
12.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle/Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Date of filing</th> <th>Amount of tax paid (INR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Date of filing	Amount of tax paid (INR)						
Date of filing	Amount of tax paid (INR)										
13.	Details in the form of a brief write up on the <i>relevant knowledge or experience</i> in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, or in matters or areas relating to Information Technology/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management, or any other matter the special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank.										
14.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)										
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.										
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):										

	(b) Date of registration with the ICAI: (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:																
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of the Bank</th> <th>Branch</th> <th>Type of A/c</th> <th>A/c Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name of the Bank	Branch	Type of A/c	A/c Number											
Name of the Bank	Branch	Type of A/c	A/c Number														
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)																
19.	Any other information relevant to Directorship of the Bank																
II	Relevant Relationships of proposed director																
1.	List of Relatives (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 and Rule 4 of Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014) if any, who are connected with any bank:																
2.	a) List of entities, if any, in which you are interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013) Names of the banks/ NBFCs/ companies/ bodies corporate/ firms / association of individuals etc. should be mentioned separately. b) List of entities in which you hold beneficial ownership [Section 89 of the Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA] c) List of Trusts in which position of Trustee is held by you (also																

	mention any other relationship with reference to a trust):																	
3.	List of entities, existing and proposed, in which you are holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949. <i>“Substantial Interest” (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;</i>	<table border="1"> <tr> <td>Name of the company / firm</td><td></td></tr> <tr> <td>Country of incorporation</td><td></td></tr> <tr> <td>Number of shares</td><td></td></tr> <tr> <td>Face Value of each share</td><td></td></tr> <tr> <td>Total face value of share holding</td><td></td></tr> <tr> <td>Shareholding as % of total Paid up Capital</td><td></td></tr> <tr> <td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td><td></td></tr> <tr> <td>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</td><td></td></tr> </table>	Name of the company / firm		Country of incorporation		Number of shares		Face Value of each share		Total face value of share holding		Shareholding as % of total Paid up Capital		Beneficial interest (in value as well as % terms)		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
Name of the company / firm																		
Country of incorporation																		
Number of shares																		
Face Value of each share																		
Total face value of share holding																		
Shareholding as % of total Paid up Capital																		
Beneficial interest (in value as well as % terms)																		
Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013																		
4.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.																	
5.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past you are a member of the Board/Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/was held)																	
6.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.																	
7.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof																	
8.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently																	

	availed in person and/or by entities listed at Point II (2) to (7) above.	
9.	Cases, if any, where as an individual, you, or the entities listed at Point II (2) to (7) above have defaulted or declared as wilful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a Bank/NBFC/any other lending institution.	
III	Records of Professional Achievements	
1.	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV	Proceedings, if any, against the proposed director	
1.	a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/occupation at any time, details thereof.	
	b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
2.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self and/or against any of the entities listed at Point II (2) to (7) above for violation of economic laws and regulations	
3.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
4.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	

5.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
6.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
7.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof	
8.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof (b) If convicted by any Court of law, details thereof.	
9.	If holding any office of profit under any Nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
10.	If as an individual or any of the entities at Point II (2) to (7) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
11.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof	
12.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof.	

	<i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i>	
V	General Information	
1.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
2.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI	In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper' provide details thereof	
<u>Undertaking</u> I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above. I also undertake to execute the Deed of Covenant required to be executed with the Bank.		
Place: Date: Signature of Candidate		

Enclosures:

.....
.....

Note:

Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.

Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Place :		
Date:		
Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) of having satisfied itself that the above information is true and complete.		
Place:		Signature of the Chair of the NRC
Date:		